फर्द अहकाम

गोपाल उर्फ रामगोपाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र: 331/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 9, 10 व 11 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7, 8, 12 लगायत 16 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड सूचना उपस्थित नही। दिनांक 06.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7, 8, 12 लगायत 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 9, 10 व 11 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब पेश नही दिनांक 11.06.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किये जाने के आदेश दिये गये। एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3795/222, 3796/222, व 3797/222 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक:/एल0आर0/सीमाज्ञान/3005 दिनांक 17.04.2025 व आनलॉईन आवेदन क्रमांक: 2025/196021/29 व 28 की पालना में दिनांक 28.04.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष मुस्तकील बिन्दु ख0न0 228 किश्म गै0मु0 चाह से ख0न0 229 का उ0प0 कोना तथा ख0न0 223 का द0प0 कोना निर्धारित किया गया तथा उपरोक्त ख0न0 का ख0न0 210 किश्म गै0मु0चाह से निर्धारित किया गया। तथा सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3795/222, 3796/222, व 3797/222 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 28.04.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)